

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी
(मधुबनी)

E-Mail – wkcdmadhubani@gmail.com

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 03/2023-24

पत्रांक :- 32

मधुबनी, /दिनांक :- 06.01.2024

1. कार्य का विवरणी :-

गुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	अग्रघन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में) लौटायी नहीं जायगी	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी के अंतर्गत सप्ता कोशी शिविर में अस्थाई विश्राम गृह का जीर्णोद्धार कार्य।	9,95,000.00	19,900.00	1,250.00	07.03.2024

2.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी
3.	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि	06.01.2024
4.	निविदा प्रपत्र विक्री की तिथि	दिनांक :- 17.01.2024 से 21.01.2024 तक (कार्यालय अवधि में)
5.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	दिनांक :- 22.01.2024 के अपराह्न 3.00 बजे तक।
6.	तकनीकी बीड खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक :- 22.01.2024 के अपराह्न 3.30 बजे।
7.	निविदा प्रपत्र बिक्री का कार्यालय	(क) कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी (ख) अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी। (ग) कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल, दरभंगा
8.	निविदा प्राप्ति का स्थान	क्रमांक – 7 के सभी कार्यालयों में।
9.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में सूचित किया जायेगा।

10. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, अहर्ता, अग्रघन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।


06.01.2024

(ई० ब्रजेश कुमार निराला)
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल मधुबनी
(मधुबनी)
मो० नं० –7463889758

11. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत एवं 100/-रु0 के गुणक में जमा करना होगा।
12. अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट की रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह तक मान्य हो। डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अथवा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में अंकित अन्य प्रतिभूति जो **कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल मधुबनी** के पदनाम से विधिवत् निविदा आमंत्रण तिथि के बाद प्रतिज्ञिप्त (Pleged) हो, स्वीकार किए जायेंगे। निविदा आमंत्रण के पूर्व में प्रतिज्ञिप्त की मान्यता नहीं दी जाएगी।
13. निविदा प्रपत्र वर्णित मूल्य के बैंक ड्राफ्ट जो **कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, मधुबनी** के पदनाम से निर्गत हो एवं मधुबनी शाखा में भुगतये हो के रूप में जमा करने पर ही प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
14. निविदा को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर स्व हस्ताक्षर करना है एवं निर्धारित स्थान पर अपना तिथि सहित हस्ताक्षर, पत्राचार का पूरा पता एवं मोबाइल संख्या देना अनिवार्य है। निविदा को प्रथम मुहरबंद लिफाफे जिस पर प्रीक्वालिफिकेशन बीड लिखा रहेगा, में **संवेदक को अपना अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र (अभिप्रमाणित छायाप्रति) मूल शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (पुलीस अधीक्षक, मधुबनी द्वारा निर्गत), अद्यतन जी0एस0टी0 रिटर्न एवं अग्रधन की राशि संलग्न करना** होगा तथा दूसरे मुहरबंद/चिपका कर लिफाफे में प्राईस बीड रहेगा, जिस पर संवेदक अपना दर अंकित करेंगे। इन दोनों मुहरबंद/चिपका कर लिफाफों को एक तीसरे मुहरबंद/चिपका कर लिफाफे में रख कर ही निविदा डाली जायेगी।
15. निविदादाता निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में एक अद्यतन घोषणा का नोटराइज्ड शपथ पत्र जो निविदा आमंत्रण तिथि के बाद का हो, **100 रूपये के स्टाम्प पेपर + 25 रूपये (अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प शुल्क सहित)** निविदा के प्रत्येक गुप के लिए अलग – अलग मूल प्रति में संलग्न किया जाना अनिवार्य (Mandatory) होगा। निम्न आशय का शपथ पत्र समर्पित करना होगा :-
“I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required be attachments are true and correct, and if found fake / forged, the undersigned will be liable to be inflict upon the FIR and lawful punishment as well as black listing.”
16. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 13589 (एस0) पटना, दिनांक 13.12.2011 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रु0 **25,00,000.00** (रूपये पच्चीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में **श्रेणी-4** में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे। निबंधन मधुबनी जिला का होना अनिवार्य है।
17. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंक एवं अक्षर में अंकित किया जायेगा जो दशमलव के दो अंको तक मान्य होगा।
18. **लोक निर्माण संहिता के नियम 469 “ए”** के अनुसार निर्माण सामग्रियों की व्यवस्था सामान्यतः संवेदक के द्वारा किया जाना है परन्तु विभागीय निर्माण सामग्री उपलब्ध रहने पर इसे संवेदक को निर्गत किया जा सकता है जिसके विरुद्ध निर्धारित दर से विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
19. निविदादाता निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर ले। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
20. बिना कारण बताए एक या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
21. संवेदक को सभी कार्य, परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्तें निविदा के लिए मान्य होगी।
22. निविदित दर **Serious unbalanced rate** होने की स्थिति में **Additional Perfomance guarantee** प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक 447 (S) सह पठित ज्ञापांक 448 (S), पटना, दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा एवं निविदित दर की अधिसीमा नहीं रहेगी।

23. सफल निविदादाता को प्रपत्र एफ0 2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
24. संदेहास्पद कार्य करने वाले जिनके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है, ऐसे संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।
25. 01 (एक) प्रतिशत सेस की राशि संवेदक के विपत्र से काटकर बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा।
26. निविदा स्वीकृत होने पर एकरारनामा की राशि का 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि जमानत की राशि के रूप में एकरारनामा के समय जमा करना होगा। इस राशि में निविदा के समय समर्पित 2 प्रतिशत अग्रघन की राशि सम्मिलित रहेगी।
27. निविदा निविदादाताओं एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
28. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचनापट्ट पर देखें, अथवा मो0 सं0 7463889758 पर संपर्क करें।
29. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका 163 के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
30. विभागीय पत्रांक 599 दिनांक 06.12.2019 के आलोक में मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत फ्लैट दर पर एवं अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
31. उक्त कार्य गैर योजना षीर्ष-2700 से भारित होगा।


06.01.2024

(ई0 ब्रजेश कुमार निराला)
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल मधुबनी
(मधुबनी)
मो0 नं0 -7463889758

पत्रांक:- 32

मधुबनी, /दिनांक :- 06.01.2024

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचना की एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


06.01.2024

(ई0 ब्रजेश कुमार निराला)
कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल मधुबनी
(मधुबनी)
मो0 नं0 -7463889758